सहायक कलक्टर (SDO) शिव

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हुकमाराम गोद पुत्र स्व. हरचंदराम जाति जाट, निवासी पोसाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर		धापूदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट, निवासी पोसाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 326 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2023	प्रार्थी अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के गोद पिता स्व. हरचंदराम की खातेदारी के खेत मौजा पोसाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 175, 347/193, 350/193, 351/172 रकबा क्रमशः 15.0620, 2.9137, 8.7169, 2.5414 हैक्टेयर व मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर के आये हुए है। हरचंदराम के फौत होने पर विवादित आराजी पर उनके गोद पुत्र प्रार्थी एवं उनकी पत्नी अनुदेवी का कब्जा रहा। वर्तमान में अनुदेवी के फौत होने से लेकर आदिनांक तक प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। फौतगी म्यूटेशन में भी प्रार्थी हुकमाराम को गोदपुत्र मानते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का ही नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थी विवादित आराजी पर मौके पर काबिज काश्त होने तथा रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में स्व. हुकमाराम का स्वयं को वारिशान बताते हुए प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी कर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। साथ ही विप्रार्थीगण उपरोक्त विवादित आराजी की मौका स्थिति में परिवर्तन कर राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी करने पर उतारू है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये और प्रार्थी को उनके कब्जा काश्त व हक हिस्सा वाली भूमि से बेदखल किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है एवं मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जाकर उसे बेदखल किया जाता है या जबरन कब्जा किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा पोसाल तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 175, 347/193, 350/193, 351/172 रकबा क्रमशः 15.0620, 2.9137, 8.7169, 2.5414 हैक्टेयर व मौजा मोतीनाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 7.5757 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 29.01.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:13:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.7.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11.08.25 को पेश हो।	
11.08.25	पत्रावली पेश। बाबूलाल उपस्थित। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण के जवाब हेतु दिनांक 18.08.25 को पेश हो।	
18.08.25	पत्रावली पेश। बाबूलाल उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.08.25 को पेश हो।	
22.08.25	पत्रावली पेश। बाबूलाल उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अत: मूल वाद के निर्णित होने से उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने तथा सारहीन होने से आवेदन इसी स्टेज पर जरिये निर्णय खारिज किया [illegible] पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:38 IST
Reason: SelfAttested